न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

ए.बी.पी. 3202/26

मकेर थाना कांड संख्या I–81/2019

अंतर्गत धारा 457,380 भा0दं0वि0

दीपांशु कुमार.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–मो0 रजनीश कुमार वर्मा

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

20.08.2026 आवेदक दीपांशु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन में उभयपक्षों को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 22.05.2019 को रात्रि में उसके दुकान का रौशनदानी तोड़कर दुकान में रखा बहुत सारा मोबाईल एवं नकद 50000 रुपये चोरी हो गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक काआपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसके पास से कुछ बरामद नहीं है। सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का नाम मामले में आया है। पूर्व से सह अभियुक्त जमानत पर है। आावेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर बहुत सारा मोबाईल चोरी करने का आरोप है। मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं है।

पूरक एवं मूल कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 15 एवं 17 में सह अभियुक्तों का स्वीकृति कथन है जिसमें सह अभियुक्तों ने साथ मिलकरके घटना का पूर्ण विवरण बताया है। स्वीकृति कथन के आधार पर चोरी हुई मोबाईल भी जप्त हुई है। आवेदक अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में दुकान में चोरी किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI

Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.08.20 15:21:59 +0000

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।